संख्या: 27 /2018/1479 / सत्रह-म-2018-6-9 (333) /2016 टी0सी0

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिंनाक 11 अक्टूबर 2018

विषय ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत 313 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 375.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 551/नियो0शा0/16-22(9)/ वि0 स्वी0-5 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत 14 जनपदों में 313 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु जनपदवार अपेक्षित धनराशि का विवरण उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 375.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्त विभाग द्वारा अंकित आर0ई0- 99/ई-1-दस -2018 दिनांक 24.09.2018 के माध्यम से रू0 375.60 लाख के पुनर्विनियोग विषयक बी0एम0-9 (संलग्न) पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्धारित 313 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-1203113/48/2017-एफवाई दिनांक 29.05.2018 एवं पत्र संख्या- जे-1203113/37/2017-एफवाई दिनांक 11 जून.2018 के माध्यम से केन्द्रांश रू0 225.36 लाख अवमुक्त किया गया है। चूंकि योजना 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश की है। फलत: योजना के संचालन हेतु केन्द्रांश रू0 225.36 लाख तथा मैंचिंग राज्यांश रू0 150.24 लाख सहित कुल रू0 375.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (संलग्नक-1) के अनुसार निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज''योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0- 20/2016/ 2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग -

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

निर्देश / गाइड लाइन्स, एवं शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017 -6-9(333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02 /2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333) /2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश / गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा ।

(3) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा ।

(4) निर्माण कार्यो के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री /उपकरण के क्रय की कार्यवाही हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशो के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि का व्यय निर्धारित मद से अन्य किसी मद/योजना में अनुमन्य नहीं होगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(9) जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2018/ बी-1 -375 / दस -2018-231 /2018 दिनांक 30-03-2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2018/ बी-1 -438 / दस -2018-231 /2018 दिनांक 24-04-2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- योजनान्तर्गत प्रस्तावित 313 मछुआ आवासों का आवंटन एवं अपेक्षित धनराशि का विवरण संलग्नक -2 के अनुसार होगी।

4- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या -17 -लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन- 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01 -केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -0102- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज(राज्यांश) 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या- ई-1-719/दस- 2018 दिनांक 09 अक्टूबर ,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या : 27 /2018 /1479(1)/सत्रह-म- 2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।
3- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
6- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

(शासनादेश संख्या:27/ 2018 /1479 /सत्रह-म-2018-6-9(333)/ 2016 टी0सी0 दिनांक 11 अक्टूबर 2018)

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2017-18 का लक्ष्य	आवंटित धनराशि (रू01.20 लाख प्रति आवास)
1	आगरा	40	48.00
2	फिरोजाबाद	33	39.60
	आगरा मण्डल	**73**	**87.60**
3	कन्नौज	20	24.00
	कानपुर मण्डल	**20**	**24.00**
4	फतेहपुर	20	24.00
	इलाहाबाद मण्डल	**20**	**24.00**
5	गोरखपुर	20	24.00
6	देवरिया	20	24.00
	गोरखपुर मण्डल	**40**	**48.00**
7	बॉदा	20	24.00
8	महोबा	20	24.00
	चित्रकूट धाम मण्डल	**40**	**48.00**
9	गोण्डा	20	24.00
	देवीपाटन मण्डल	**20**	**24.00**
10	मुरादाबाद	20	24.00
	मुरादाबाद मण्डल	**20**	**24.00**
11	हरदोई	20	24.00
	लखनऊ मण्डल	**20**	**24.00**
12	वाराणसी	20	24.00
13	चन्दौली	20	24.00
14	गाजीपुर	20	24.00
	वाराणसी मण्डल	**60**	**72.00**
	कुल योग -	**313**	**375.60**

(कुल रूपया तीन करोड पचहत्तर लाख साठ हजार मात्र)

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com